तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज प्र0सं0 15/2023 शाहिद अली खान बनाम उपखण्ड अधिकारी बाडी स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.09.2023	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थितं। प्रार्थी ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण उनवानी शाहिद बनाम अब्दुल सईद को अन्य किसी समकक्ष राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी श्री गिरधरलाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी बाडी के विरूद्व पेश किया था। चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री गिरधरलाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी बाडी सेवानिवृत हो चुके है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र अब सारहीन हो जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्त आदेशिका की प्रति उपखण्ड अधिकारी बाडी को उनके न्यायालय की पत्रावली के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दालिख दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर	